फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग वित्तीय वर्ष 2019-20 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05- उ० प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय	1499.67	36.25	36.25	36.25	1463.42
योग-	**1499.67**	**36.25**	**36.25**	**36.25**	**1463.42**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा

लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) (राजस्व पक्ष)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्याशित व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 05 00 3055-सड़क परिवह-00-800-अन्य व्यय-05-उ० प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय					
01-वेतन	7.70	32.29	24.59	24.59	32.29
03-महॅगाई भत्ता	1.16	4.28	3.12	3.12	4.28
04-यात्रा व्यय	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.46	3.00	2.54	2.54	3.00
55-मकान किराया भत्ता	0.00	0.76	0.76	0.76	0.76
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.31	0.31	0.31	0.31
57-प्रैक्टिस बन्दी भत्ता	0.00	1.93	1.93	1.93	1.93
योग -	**9.32**	**45.57**	**36.25**	**36.25**	**45.57**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग एवं चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये एक-एक विशेष कार्याधिकारी तैनात होने के कारण वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु रू0 36.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है। अत: राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय-42-अन्य व्यय मद में रू0 36.25 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

शासन के निर्देशानुसार लोक निर्माण विभाग, पुलिस विभाग एवं चिकित्सा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आये एक-एक विशेष कार्याधिकारी तैनात होने के कारण वेतन भत्ते आदि के भुगतान हेतु रू0 36.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है। अत: राजस्व पक्ष के लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-05-उ०प्र० सड़क सुरक्षा कोष से व्यय में उपरोक्तानुसार मद संख्या 01, 03, 04, 05, 44, 52, 55, 56 एवं 57 में अंकित अतिरिक्त धनराशि कुल रू० 36.25 लाख की आवश्यकता अनुमानित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

आर0ई0 संख्या-89/ई-9-यू0ओ0-1308/दस-2019, दिनॉक 06 सितम्बर, 2019

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या-113/2019/3365/तीस-3-19-06बी/2014टीसी, दिनॉक 13 सितम्बर, 2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(विनोद कुमार)
उप सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।